राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता),जैसलमेर

क्रमांक : आ.प्र.एवं सहा./पशु शिविर/संवत 2075/6769 दिनांकः 22/07/2025

प्रेषितः

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राज. जयपुर।

विषयः– अभाव संवत 2075 में संचालित पशु शिविर व चारा डिपों का एसईसी के निर्णय पश्चात भी बजट आवंटन व्यपगत के पश्चात पुनः बजट मांग वावत्।

सन्दर्भः– विभागीय पत्रांक राजकाज 14418047 दिनांक 27.03.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा अभाव संवत 2075 में संचालित पशु शिविर व चारा डिपों के बिलों का राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 14.03.2023 के निर्णय पश्चात आवंटित बजट का उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक नहीं करने का कारण दोषी कार्मिक/अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर चार्जशीट देकर पुनः बजट मांग हेतु लिखा गया हैं।

इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर को नोटिस जारी कर पशु शिविर व चारा डिपों के बिल भुगतान हेतु समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण बजट व्यपगत हो जाने पर संबंधित कार्मिक/अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर द्वारा श्री देशलाराम परिहार, तत्कालीन तहसीलदार जैसलमेर द्वारा भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु अवगत करवाया गया। तत्कालीन तहसीलदार श्री देशलाराम परिहार वर्तमान उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला जालौर में पदस्थापित होने के कारण उनके विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर इस कार्यालय के पत्रांक 3022 दिनांक 21.07.2025 द्वारा कार्मिक विभाग, राज. सरकार को राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया। (प्रति संलग्न)

अतः इस संबंध में निवेदन हैं कि इस कार्यालय द्वारा प्रेषित बजट मांग पशु शिविर के बिलों के भुगतान हेतु राशि रू. 92,85,000/– व चारा डिपों के बिलों के भुगतान हेतु राशि रू. 11,11,500/– का पुनः बजट आवंटन करावें, ताकि उक्त बिलों का शीघ्र भुगतान किया जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभारी अधिकारी सहायता एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, जैसलमेर

क्रमांक : संस्थापन / 2025 / 3022 दिनांक :– 21/07/2025

प्रेषित :–

संयुक्त शासन सचिव,
कार्मिक (क–4) विभाग,
राज. जयपुर।

विषयः– श्री देशलाराम परिहार, तत्कालीन तहसीलदार जैसलमेर वर्तमान उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना, जिला जालौर अन्तर्गत राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 का नियम–17 के तहत कार्यवाही के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री देशलाराम परिहार, तत्कालीन तहसीलदार जैसलमेर वर्तमान उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना, जिला जालौर दिनांक 22.08.2023 से दिनांक 13.03.2024 तक तहसीलदार जैसलमेर के पद पर पदस्थापित रहे। उक्त समयावधि में अभाव संवत् 2075 में संचालित पशु शिविरों व चारा डिपो के लंबित बिलों का भुगतान करने हेतु आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर से बजट आवंटन पश्चात् उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरांत उनके द्वारा उक्त बिल प्रेषित नहीं किये गये, इस कृत्य के कारण उक्त बिलों का वित्तीय वर्ष 2023–24 में अंतिम रूप से भुगतान नहीं हो सका। उनका यह कृत्य राजकीय कर्तव्यों के प्रति घोर अवहेलना एवं लापरवाही का द्योतक हैं।

अतः श्री देशलाराम परिहार, तत्कालीन तहसीलदार जैसलमेर वर्तमान उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना, जिला जालौर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 का नियम–17 के तहत कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्र तैयार कर संलग्न आवश्यक कार्यवाही प्रेषित हैं।

संलग्न :– आरोप पत्र।

(प्रताप सिंह)
जिला कलक्टर,
जैसलमेर

आरोप पत्र विरुद्ध **श्री देशलाराम परिहार, तत्कालीन तहसीलदार जैसलमेर वर्तमान उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना जिला जालौर** अन्तर्गत राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 का नियम–17

आरोप पत्र

आप श्री देशलाराम परिहार, तत्कालीन तहसीलदार ज़ैसलमेर वर्तमान उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना, जिला जालौर **दिनांक 22.08.2023 से दिनांक 13.03.2024** तक तहसीलदार जैसलमेर के पद पर पदस्थापित रहे। उक्त समयावधि में अभाव संवत् 2075 में संचालित पशु शिविरों व चारा डिपो के लंबित बिलों का भुगतान हेतु आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर से बजट आवंटन पश्चात् उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरांत आप द्वारा लंबित बिल निर्धारित समयावधि में प्रेषित नहीं किये जाने के कारण उक्त बिलों का वित्तीय वर्ष 2023–24 में अंतिम रूप से भुगतान नहीं हो सका।

इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर को नोटिस जारी किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में श्री देशलाराम परिहार, तत्कालीन तहसीलदार जैसलमेर द्वारा लंबित बिल निर्धारित समयावधि में प्रेषित नहीं करने के कारण भुगतान नहीं होने के संबंध में अवगत करवाया गया।

आपके इस कृत्य के कारण उक्त लंबित बिलों का भुगतान नहीं हो सका। आपका उक्त कृत्य राजकीय कर्तव्यों की घोर अवहेलना एवं लापरवाही का द्योतक हैं जिसके लिये आप दोषी है।

जिला कलक्टर,
जैसलमेर